Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER 2024/202

Number of Case P/541/ Year 2024

गणपत सिंह एण्ड कम्पनी प्रा० लि० Versus धनराज आदि व अन्य

U/S - 188 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	पत्रावली वादी उचित आदेश हेतु आगामी दिनांक 23/04/26 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
23/04/26	पत्रावली पेश हुई वकील वादी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया गया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में साबित न होने से एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। विधिवत डिक्री पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री फर्द जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर तरतीब से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर आर.ए.एस.

राजस्व मूलवाद सं. : P/541/2024 (GCMS No 2024/202)

– : : अनवान् : : –

वादी :–

श्री गणपत सिंह एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, जोधपुर द्वितीय पोलो पावटा जोधपुर, जरिये डायरेक्टर श्रीमती रात्रि पत्नि श्री गणपत सिंह, जाति माली, निवासी द्वितीय पोलो पावटा, जोधपुर।

बनाम्

प्रतिवादीगण :–

1. धनराज भाटी पुत्र श्री बंशीलाल, जाति माली, निवासी बंशी विहार, गोकुल जी की प्याऊ के पास चैनपुरा, जोधपुर।
2. अशोक परिहार पुत्र श्री गणपत सिंह, जाति माली, निवासी भूखण्ड संख्या 21, बंशी विहार, गोकुल जी की प्याऊ के पास चैनपुरा, जोधपुर।
3. सुरेन्द्र सिंह विश्नोई पुत्र नामालूम जाति विश्नोई, निवासी भूखण्ड संख्या 16 बंशी विहार, गोकुल जी की प्याऊ के पास चैनपुरा, जोधपुर।
4. धीरेन्द्र सांखला पुत्र श्री नामालूम जाति माली, निवासी भूखण्ड संख्या 14 बंशी विहार, गोकुल जी की प्याऊ के पास चैनपुरा, जोधपुर।
5. दिलीप सांखला पुत्र श्री नामालूम जाति माली, निवासी भूखण्ड संख्या 10, बंशी विहार, गोकुल जी की प्याऊ के पास चैनपुरा, जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

अधिवक्ता :–

1. श्री अक्षय कुमार दवे, अरूणा ओझा एवं रेणु बोहरा अधिवक्तागण वादी
2. श्री जोगसिंह भाटी, एस.डी. वैष्णव, जगदीश रांकावत एवं ललित बोराणा अधिवक्तागण प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 03

– : : निर्णय : : – दिनांक : 23.04.2026

वकील वादी मय वादी ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया हैं कि –

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

वादीनी की दीगर खातेदारान् के साथ संयुक्त रेकॉर्डेट खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम मण्डोर द्वितीय में खसरा नं. 1834 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 1835 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 1837 रकबा 1 बीघा खसरा नं. 1837/1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 1838 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 1839 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 1839/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं. 1841 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 1841/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 1841/1/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 1841/2 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नं. 1842 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 1843 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं. 1844 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 1845 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 1846 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं 1847 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 1848 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 1849 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 1850 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 1851 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 1852 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 2055/1847 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं. 2060/1844 रकबा 12 बिस्वा, कुल खसरान् 24 कुल रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा आई हुई है। जिस भूमि पर वादी बरवक्त खरीद से बहैसियत रेकॉर्डेट खातेदार काश्तकार के काबिज है। वादी के हक में नामांतरकरण संख्या 474 भी पारित करते हुए राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के इन्द्राज है। वादी की संयुक्त रेकॉर्डेट खातेदारी की कृषि भूमि के खातेदारान् मौके पर अपने-अपने हिस्से अनुसार पृथक-पृथक काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर चार दीवारी का निर्माण भी कर रखा है। वादी अपनी जायदाद में प्रवेश हेतु बरवनत खरीद से पश्चिम दिशा में स्थित रास्ते का अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु उपयोग करता आ रहा है। जिस रास्ते का उपयोग पूर्व में वादी के विक्रेता द्वारा किया जाता था। वादी के उपरोक्त संयुक्त रेकॉर्डेट खातेदारी के कृषि भूमि के पूर्वी दिशा में खसरा नं 70 ग्राम चैनपुरा की भूमि आई हुई है। जो भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के रेकॉर्डेट खातेदारी की कृषि भूमि भूमि थी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने खातेदारी की खसरा नं. 70 की भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित करवाते हुए उसे सड़के आदि छोड़कर भूखण्डों में विभाजित किया जा चुका है एवं इस संबंध में एक नक्शा भी नगर सुधार न्यास जोधपुर से पारित भी करवा रखा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी की जायदाद में प्रवेश हेतु पूर्व से विद्यमान रास्ते के रूप में ही रखते हुए नक्शा पास करवाया गया है। जो रास्ता नगर सुधार न्यास द्वारा ही स्वीकृतशुदा रास्ता है। जिस रास्ते का उपयोग वादी एवं इस क्षेत्र के समस्त निवासीगण आज दिन तक निरंतर रूप से बिना किसी दखल अंदाजी के करते आ रहे है। प्रतिवादीगण अथवा अन्य किसी को रास्ते की भूमि हड़प करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या दिगर प्रतिवादीगण के साथ पड़यंत्र करते हुए रास्ते की भूमि हडप करने एवं वादी के उसके खातेदारी की कृषि भूमि में प्रवेश द्वारा को अवरूद्ध एवं बन्द करने की फिराक में है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

इसी सिलसिले में प्रतिवादीगण ने दिनांक 23.09.2024 को अत्यधिक मात्रा में खण्डे एवं पत्थर लाकर वादी की रेकॉर्डेट खातेदारी की कृषि भूमि के प्रवेश द्वारा पर लाकर डाल दी है जिस पर वादी ने सख्त नाराजगी एवं एतराज जाहिर किया तब प्रतिवादीगण ने वादी को एलानियां धमकी दी है कि प्रतिवादीगण बंशी विहार आवासीय कॉलोनी के चारों दिशाओं में बाउण्ड्री वॉल का निर्माण करेंगे तथा वादी के एकमात्र प्रवेश द्वार को बन्द कर देंगे। वादी चाहे जो कर ले।

वादी द्वारा समझाईश करने का प्रयास किया गया किन्तु प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक है एवं अत्यधिक आक्रोशित होकर वादी के साथ लड़ाई–झगड़ा करने लगे। वादी की खातेदारी की कृषि भूमि के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग तथा प्रवेश में दखलअंदाजी करने का प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण अवैध व अनाधिकार रूप से वादी की जायदाद में प्रवेश द्वार को बन्द करने का प्रयास कर रहे है। जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण बंशी विहार के भूखण्डों के स्वयं को स्वामी दर्शाते हुए वादी को बेदखल करने पर आमादा है। वादी के बार–बार निवेदन करने के बावजूद भी प्रतिवादीगण नहीं मान रहे है। प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक है एवं असामाजिक तत्वों के सहयोग से वे कभी भी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कर सकते है। जिसकी धमकियां भी प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दी गई है। ऐसी स्थिति में वादी के पास यह वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। उपरोक्तानुसार वादी के हक में प्रथम दृष्टया वाद सिद्ध है। सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। यदि प्रतिवादीगण वादी के अपनी खातेदारी की भूमि में प्रवेश के एकमात्र रास्ते को बन्द करने या उसके किसी हिस्से पर अवैध व अनाधिकार रूप से कब्जा करने में सफल हो जाते है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। विनाय दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 23.09.2023 को जब प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर लाकर खण्डे आदि निर्माण सामग्री डाली तब वादी की रेकॉर्डेट खातेदारी की कृषि भूमि में एकमात्र प्रवेश द्वार पर कब्जा कर बाउण्ड्री वॉल बनाने का एवं इस आशय की धमकी देने पर दिनांक 23.09.2024 को बमुकाम ग्राम मण्डोर द्वितीय, तहसील व जिला जोधपुर में पैदा हुआ। प्रार्थनावादी है कि वाद वादी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाते कि प्रतिवादीगण स्वयं या अपने किसी रिश्तेदार मुख्त्यार एजेन्ट, ठेकेदार या मजदूर अथवा अन्य किसी के द्वारा वादी की रेकॉर्डेट खातेदारी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के पूर्वी दिशा में स्थित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण कब्जा नहीं करे ना ही वादी के आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा अथवा दखल उत्पन्न करे एवं ना ही किसी प्रकार का कोई निर्माण अथवा अन्य कोई दखलअंदाजी ना तो स्वयं करे ना ही अन्य के मार्फत करावें। हर्जा–खर्चा, दिगर दादरसी लाभप्रद वादी प्रतिवादी से दिलाया जावे।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री जोगसिंह भाटी व अन्य ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 04 व 05 की ओर से बावजूद बावजूद तलबी भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः आदेशिका दिनांक 17.10.2024 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा आदेशिका में अंकन किया कि प्रतिवादी संख्या 02 व 03 जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करना चाहते है। अतः आदेशिका दिनांक 15.05.2025 को प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का जवाब दावा का अवसर बंद किया गया। प्रकरण में तनकियात् कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। वादी अधिवक्ता को साक्ष्यवादी प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर प्रदान करने के बावजूद भी वादी अधिवक्ता साक्ष्यवादी प्रस्तुत करने में असफल रहे। अतः साक्ष्यवादी का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता को रूक रूक कर बार–बार आवाजें दिलवाई गई बावजूद प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आए। अतः आदेशिका दिनांक 21.04.2026 के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली उचित आदेश हेतु नियत की गई।

प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है कि –

वादी ने श्रीमान न्यायालय से इस तथ्य का लोप किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 आवासीय रूपांतरित बन्शी विहार योजना के रहवासीय भूखण्ड के स्वामी तथा बन्शी विहार योजना की पश्चिम दिशा में वादी द्वारा वर्णित कृषि भूमि अंतर्गत पद संख्या 1 राजस्व रेकर्ड तथा नक्शे व मौके पर उपस्थित नहीं हैं। तथ्य के लोप के आधार पर पेश वादी का मूल वाद खारिज फरमाने योग्य है। वादी ने इस तथ्य का लोप किया है कि उसके द्वारा वर्णित कृषि भूमि के पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर बरसाती नाला है जो प्राकृतिक रूप से शताब्दी पूर्व से मौके पर स्थित है और वर्तमान में भी वादी की कृषि भूमि तथा प्रतिवादीगण की रहवासीय कॉलोनी के मध्य मौके पर स्थित है, लिहाजा दोनों की भूमि के मध्य मौके पर नाला लगभग 25 फीट चौड़ा है, जिसे किसी भी रूप में बन्द नहीं किया जा सकता हैं और न ही ऐसा करने के लिये वादी को अधिकार प्राप्त हैं। लिहाजा वादी अपनी कृषि भूमि की तरफ से प्रतिवादीगण की रहवासीय कॉलोनी की ओर रास्ता नहीं बना सकता हैं और न ही उसने सक्षम स्थानीय निकाय से ऐसी अनुमति ली हैं, लिहाजा वादी का मूल वाद खारिज फरमाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद पूर्णतः राजस्व रेकर्ड को आधार बनाकर विवाद पेश किया है, लिहाजा वादी के द्वारा हल्का तहसीलदार को भूमिधारी की हैसियत से आवश्यक पक्षकार बनाया जाना था लेकिन वादी ने जान बूझकर नहीं बनाया है। ऐसा करने से वादी का वाद आवश्यक पक्षकार के अभाव में त्रुटिपूर्ण होने से खारिज फरमाने योग्य है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित तथ्य जिस तरह से पेश है अस्वीकार है। वादी ने तथ्यो के लोप के आधार पर मूल वाद पेश किया है जो पोषणीय नहीं है और इसी आधार पर खारिज फरमाने योग्य है, लिहाजा वादी को मूल वाद में सफलता नहीं मिल सकती है। वादी ने स्वयं को संयुक्त खातेदारी का खातेदार बताया है लेकिन अन्य खातेदारो का विवरण पेश नही किया है, उन्हे पक्षकार नहीं बनाया है, ऐसी परिस्थति में शामलाती कृषि भूमि के सहखातेदारो की जानकारी के अभाव में यह वाद पेश किया है जिसके निर्णय से अन्य रिकॉर्डेड खातेदारो के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पड सकता, है, लिहाजा समस्त सहखातेदार आवश्यक पक्षकार है जिन्हे इस वाद में पक्षकार बनाया जाना अतिआवश्यक है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। वादी द्वारा पेश तथ्य कृषि भूमि के संयुक्त खातेदारी के संबंधित है. जबकि वादी ने स्वयं के अलावा अन्य खातेदारों का खुलासा नहीं किया है, लिहाजा तथ्य का लोप किया है। शेष तथ्य सक्षम साक्ष्य से साबित करें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में वर्णित तथ्य स्वीकार हैं। वादी की कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में रास्ता मौजूद है जिससे वादी तथा वादी की भूमि के पूर्व स्वामी भी उसी एकमात्र रास्ते को कृषि भूमि में आने जाने के लिये उपयोग करते आ रहे है। लिहाजा वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है और इसी लिहाज से वादी का वाद खारिज फरमाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 में वर्णित तथ्य जिस तरह से पेश है अस्वीकार हैं। बन्शी विहार कॉलोनी खसरा संख्या 70, ग्राम चौनपुरा, मण्डोर जोधपुर में स्थित है जिसके पश्चिम दिशा में वादी के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर मौजूद नहीं है। प्रतिवादीगण की आवासीय कॉलोनी के पश्चिम दिशा में बरसाती नाला रेकर्ड व मौके पर स्थित है, लिहाजा वादी उक्त, नाले को रास्ते के रूप में उपयोग में नहीं ले सकता है। प्रतिवादीगण की आवासीय कॉलोनी में से वादी की कृषि भूमि में जाने के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, और न ही वादी बरसाती नाले को बन्द कर या पाट कर प्रतिवादीगण की कॉलोनी में प्रवेश कर सकता है। वादी की खातेदारी की कृषि भूमि में प्रतिवादीगण की कॉलोनी की तरफ से कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है. लिहाजा वादी अपनी कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण की कॉलोनी में प्रवेश करने के लिये प्राकृतिक बरसाती नाले को मौके पर अवरूद्ध कर मार्ग का निर्माण नहीं कर सकता है और न ही ऐसा करने के लिये उसने कोई अनुमति प्राप्त की है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है और न ही प्रतिवादीगण द्वारा वादी की जायदाद में प्रवेश द्वार को बन्द करने का प्रयास किया हैं। शेष तथ्य वादी सक्षम साक्ष्य से साबित करें। विवाद के प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति बहक प्रतिवादीगण साबित हैं क्योंकि यदि प्राकृतिक बरसाती नाला को बन्द किया जाता है तो बन्शी विहार कॉलोनी एवं आसपास के क्षेत्रों में बरसात का पानी का बहाव अवरूद्ध हो जायेगा और प्रतिवादीगण की कॉलोनी में अत्यधिक जल भराव हो जायेगा जिससे जनहानि व सम्पत्ति हानि होने की प्रबल

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर

सम्भावना है। लिहाजा इस स्तर पर व अंतरिम राहत के रूप में वादी को प्राकृतिक बरसाती नाले को अवरूद्ध कर रास्ते के रूप में उपयोग करने की अनुमति/राहत नहीं दी जा सकती है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से यह जवाब पेश कर विनम्र निवेदन है कि वादी का राजस्व मूल वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली मय दस्तावेजात् का अवलोकन व अध्ययन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन व निर्णयन इस प्रकार हैं –

1. वादकर्ता द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि वाद विधिवत प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादीगण को समुचित अवसर प्रदान करते हुए नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात वाद में मुद्दे (तनकियात्) निर्धारित किए गए और प्रकरण को साक्ष्यवादी के लिए नियत किया गया।
2. अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि साक्ष्य के चरण में न्यायालय द्वारा वादी को पर्याप्त एवं बार–बार अवसर प्रदान किए गए, किन्तु वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। यह स्थापित विधि सिद्धांत है कि वादी को अपने वाद के तथ्यों को प्रमाणित करने का भार स्वयं वहन करना होता है। साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में वादी अपने दावे को सिद्ध करने में असफल रहता है। साथ ही यह भी अभिलेख पर है कि साक्ष्यवादी के दौरान प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा भी नियमित उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई गई, जिसके फलस्वरूप उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
3. वादकर्ता द्वारा प्रस्तुत वाद तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि वाद में निम्नलिखित विवाद्यक बिंदु निर्धारित किए गए –
    1. क्या वादी वर्णित भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?
    2. क्या वादी द्वारा स्वयं को संयुक्त खातेदार बताते हुए अन्य सह–खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया, अतः वाद पोषणीय नहीं है ?
    3. क्या वादी को वाद हेतु कारण–कार्य (Cause of Action) उत्पन्न नहीं हुआ है?
    4. अन्य अनुतोष ?

    वाद में मुद्दे निर्धारित होने के पश्चात प्रकरण साक्ष्यवादी हेतु नियत किया गया। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर प्रदान

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर

किए गए, किन्तु वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप साक्ष्यवादी बंद की गई। साथ ही प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई गई, जिसके कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

न्यायालय द्वारा निम्नानुसार विवाद्यक बिन्दु निर्णित किये गये –

1. विवाद्यक नं. 1 :–

यह बिन्दु वादी के इस अधिकार से संबंधित है कि क्या वह स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस संबंध में यह स्थापित विधिक सिद्धांत है कि वादी को अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। वर्तमान वाद में वादी द्वारा न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***Vidhyadhar Vs. Manikrao*** में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने से बचता है तो उसके विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है। अतः साक्ष्य के अभाव में वादी अपना अधिकार सिद्ध करने में असफल रहा है। फलस्वरूप यह विवाद्यक वादी के विरुद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णयित किया जाता है।

2. विवाद्यक नं. 2 :–

इस बिन्दु के अनुसार वादी ने स्वयं को संयुक्त खातेदार बताया है, किन्तु अन्य सह–खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। यह सिद्धांत स्थापित है कि आवश्यक पक्षकारों को वाद में सम्मिलित करना अनिवार्य होता है, अन्यथा वाद पोषणीय नहीं रहता। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***Kasturi Vs. Iyyamperumal*** में यह प्रतिपादित किया गया है कि आवश्यक पक्षकार के अभाव में वाद दोषपूर्ण माना जाता है। वादी द्वारा इस संबंध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह विवाद्यक भी वादी के विरुद्ध निर्णयित किया जाता है।

3. विवाद्यक नं. 3 :–

यह बिन्दु कारण–कार्य (Cause of Action) से संबंधित है। वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण यह सिद्ध नहीं हो पाया कि वाद हेतु कोई वैध कारण–कार्य उत्पन्न हुआ था। केवल कथनों के आधार पर वाद स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में ***Kali Ram Vs. State of Himachal Pradesh*** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जो पक्ष अपने कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहता है, उसका दावा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः यह विवाद्यक भी वादी के विरुद्ध निर्णयित किया जाता ह

4. विवाद्यक नं. 4 :–

जब वादी अपने मूल दावे को ही सिद्ध करने में असफल रहा है, तब उसे किसी अन्य प्रकार की राहत प्रदान करने का कोई आधार नहीं बनता। अतः यह विवाद्यक भी वादी के विरुद्ध निर्णयित किया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं विधिक सिद्धांतों के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि वादी अपने वाद को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहा है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद भली–भांति साबित न होने व साक्ष्य के अभाव में असिद्ध होने के कारण खारिज (Dismissed) किया जाना विधि सम्मत एवं उचित रहेगा।

– : : आदेश : : –

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वादी का वाद बावत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 भली–भांति साबित न होने व व साक्ष्य के अभाव में असिद्ध होने के कारण खारिज (Dismissed) किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंवर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मधुलिका चौधरी)
आरएएस
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मधुलिका चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21 रूल 3, 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर आर.ए.एस.

राजस्व मूलवाद सं. : P/541/2024 (GCMS No 2024/202)

– : : अनवान् : : –

वादी :–

श्री गणपत सिंह एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, जोधपुर द्वितीय पोलो पावटा जोधपुर, जरिये डायरेक्टर श्रीमती रात्रि पत्नि श्री गणपत सिंह, जाति माली, निवासी द्वितीय पोलो पावटा, जोधपुर।

बनाम्

प्रतिवादीगण :–

1. धनराज भाटी पुत्र श्री बंशीलाल, जाति माली, निवासी बंशी विहार, गोकुल जी की प्याऊ के पास चैनपुरा, जोधपुर।
2. अशोक परिहार पुत्र श्री गणपत सिंह, जाति माली, निवासी भूखण्ड संख्या 21, बंशी विहार, गोकुल जी की प्याऊ के पास चैनपुरा, जोधपुर।
3. सुरेन्द्र सिंह विश्नोई पुत्र नामालूम जाति विश्नोई, निवासी भूखण्ड संख्या 16 बंशी विहार, गोकुल जी की प्याऊ के पास चैनपुरा, जोधपुर।
4. धीरेन्द्र सांखला पुत्र श्री नामालूम जाति माली, निवासी भूखण्ड संख्या 14 बंशी विहार, गोकुल जी की प्याऊ के पास चैनपुरा, जोधपुर।
5. दिलीप सांखला पुत्र श्री नामालूम जाति माली, निवासी भूखण्ड संख्या 10, बंशी विहार, गोकुल जी की प्याऊ के पास चैनपुरा, जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपरोक्तानुसार राजस्व वाद बाबत् 188 आर.टी.एक्ट. में श्री अक्षय कुमार दवे व अन्य विद्वान अधिवक्तागण वादी ने हाजरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है –

प्रस्तुत वाद में वाके ग्राम मण्डोर द्वितीय तहसील व जिला जोधपुर के ख्खसरा नं. 1834 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 1835 रकबा 4 विस्वा, खसरा नं. 1837 रकबा 1 बीघा खसरा नं. 1837/1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 1838 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 1839 रकबा 1 बीघा 2 बिरवा, खसरा नं. 1839/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं. 1841 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 1841/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 1841/1/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 1841/2 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नं. 1842

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 1843 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं. 1844 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 1845 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 1846 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, खसरा नं 1847 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 1848 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 1849 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 1850 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 1851 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 1852 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 2055/1847 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं. 2060/1844 रकबा 12 बिस्वा, कुल खसरान् 24 कुल रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा भूमि के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित न होने व साक्ष्य के अभाव में असिद्ध होने के कारण खारिज (Dismissed) किया गया। जिसकी पालना में तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **23.04.2026** को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लीज.............. ....मुबलिक.............. ....बाबत्.............. ....खर्चा इस मुकदमें के मय सुदवगैरह.............. ....की सदीसलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबीतक.............. ....अदाकरें।

वसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख **23.04.2026** की जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फा.ट्रे.) जोधपुर
(मधुलिका सींवर)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प जारी दावा			स्टाम्प जारी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
खर्चा अहवान्			खर्चा अहवान्		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् इजराज हुक्मनामा		
मतफरिक			मतफरिक		

नोट : इस खर्च के फार्म पर यदि फरीकेन या वाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर
(मधुलिका सींवर)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर